

उत्तराखण्ड शासन  
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग  
संख्या—163 /XVII(4)/2016-5(2)/12TC  
देहरादून, दिनांक २५ नवम्बर, २०१८

कार्यालय ज्ञाप / संशोधन

आंगनबाड़ी कार्यक्रियों/सहायिकाओं/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रियों को सेवा उपरान्त उनके द्वारा की गई सेवाओं का प्रतिफल दिये जाने के उददेश्य से आंगनबाड़ी कर्मी सुरक्षा योजना का प्रारम्भ करते हुए शासनादेश संख्या 543/XVII(4)/2006/2012TC दिनांक 09.03.2016 द्वारा “आंगनबाड़ी कल्याण कोष” की स्थापना की गई है। जिसमें प्रस्तर संख्या-17 को भी समाहित करते हुए “आंगनबाड़ी कार्यक्रियों/सहायिकाओं/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रियों को उनके कार्य के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में “आंगनबाड़ी कल्याण कोष” के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि/अंशदान का भुगतान नियमानुसार उनके आश्रितों/नोमिनी को किया जायेगा” अतिरिक्त रूप से पढ़ा जाय।

2— उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 09.03.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, एवं अन्य शेष शर्त यथावत रहेंगी।

(डॉ भूपिन्दर कौर औलख)  
सचिव।

संख्या—163 (1)/XVII(4)/2016-5(2)2012 TC तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ ऑफिसर—मुख्य सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. निदेशक/उपाध्यक्ष (पदेन), महिंसशा० एवं बा०वि०वि०, उत्तराखण्ड।
11. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, आई०सी०डी०एस०, उत्तराखण्ड।
12. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग—१/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
15. वित्त नियंत्रक, आई०सी०डी०एस०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
17. राज्य परियोजना अधिकारी, महिंसशा० एवं बा०वि०वि० समिति, उत्तराखण्ड।
18. ऑडिटर्स, महिंसशा० एवं बा०वि०वि० समिति, उत्तराखण्ड।
19. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(विमी संचिव)  
अपर सचिव।